संख्या 1769/XXIV-3/08/90/माध्यमिक/2001

प्रेषक,

ओम प्रकाश,
सचिव
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

सचिव,
केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा परिषद
समुदाय केन्द्र प्रीति विहार,
नई दिल्ली।

माध्यमिक शिक्षा अनुभाग–3, देहरादूनः दिनांक 30 सितम्बर,2008

विषयः दि एशियन स्कूल वसन्त विहार (इन्दिरा नगर) देहरादून वर्तमान में आई0 सी0एस0ई0 बोर्ड, नई दिल्ली से सी0बी0एस0ई0 बोर्ड, नई दिल्ली की सम्बद्धता हेतु अनापत्ति प्रमाण पत्र।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक के सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि दि एशियन स्कूल वसन्त विहार (इन्दिरा नगर) जनपद देहरादून को सेन्ट्रल बोर्ड ऑफ सैकेण्डरी एजुकेशन(सी.बी.एस.ई.),नई दिल्ली से सम्बद्धता हेतु अनापत्ति प्रमाण–पत्र दिये जाने में राज्य सरकार को निम्नलिखित प्रतिबन्धों के अधीन आपत्ति नहीं हैः–

(क) उत्तराखण्ड में स्थित शिक्षण संस्थानों को कौंऊंसिल फार दि इण्डियन स्कूल सर्टिफिकेट एक्जामिनेशन/सेन्ट्रल बोर्ड ऑफ सैकेण्डरी एजुकेशन, नई दिल्ली से सम्बद्धता प्राप्त करने हेतु उपर्युक्त दोनों बोर्डो द्वारा निर्धारित शर्तो/मानकों का अनुपालन करना अनिवार्य होगा।

(ख) विद्यालय की पंजीकृत सोसाइटी का समय–समय पर नवीनीकरण कराया जायेगा।

(ग) विद्यालय की प्रवन्ध समिति में शिक्षा निदेशक द्वारा नामित सदस्य होगा।

(घ) विद्यालय में कम से कम 10 प्रतिशत स्थान अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के मेधावी बच्चों के लिये सुरक्षित रहेगें और उनसे उत्तराखण्ड माध्यमिक शिक्षा परिषद/बेसिक शिक्षा परिषद द्वारा संचालित विद्यालयों में विभिन्न कक्षाओं के लिए निर्धारित शुल्क से अधिक नहीं लिया जायेगा।

(ड़) संस्था द्वारा राज्य सरकार से किसी अनुदान की मांग नहीं की जायेगी और यदि पूर्व में विद्यालय माध्यमिक शिक्षा परिषद से मान्यता प्राप्त है तथा विद्यालय की सम्बद्धता सेन्ट्रल वोर्ड आफ सेकेण्ड्री एजूकेशनल, नई दिल्ली/कौंसिल फार इण्डियन सर्टीफिकेट एक्जामिनेशन, नई दिल्ली से प्राप्त होती है तो उक्त परीक्षा परिषदों से सम्बद्धता प्राप्त होंने की तिथि से परिषद से मान्यता और राज्य सरकार से अनुदान स्वतः समाप्त हो जायेंगे।

(च) संस्था के शिक्षण तथा शिक्षणेत्तर कर्मचारियों को राजकीय सहायता प्राप्त शिक्षण संस्थाओं के कर्मचारियों को अनुमन्य वेतनमानों तथा अन्य भत्तों से कम वेतनमान तथा अन्य भत्ते नहीं दिये जायेंगे।

क्रमशः......2

(छ) विद्यालय/संस्था में कार्यरत कर्मचारियों की सेवा शर्ते बनायी जायेगी और उन्हें सहायता प्राप्त अशासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों के कर्मचारियों को अनुमन्य सेवा निवृत्त लाभ उपलब्ध कराये जायेंगे।

(ज) राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर जो भी आदेश निर्गत किये जायेंगें, संस्था उनका पालन करेगी।

(झ) विद्यालय का रिकार्ड निर्धारित प्रपत्र पंजिकाओं में रखा जायेगा।

(ट) उक्त शर्तो में, बिना शासन के पूर्वानुमोदन के, कोई परिवर्तन/सशोधन/परिवर्द्धन नही किया जायेगा।

2. उक्त प्रतिबन्धों का पालन करना संस्था के लिये अनिवार्य होगा और यदि किसी समय यह पाया जाता है कि संस्था द्वारा उक्त प्रतिबन्धों का पालन नहीं किया जा रहा है अथवा पालन करने में किसी प्रकार की चूक या शिथिलता बरती जा रही है तो राज्य सरकार द्वारा प्रदत्त अनापत्ति प्रमाण-पत्र वापस ले लिया जायेगा।

भवदीय,

(ओम प्रकाश)
सचिव।

संख्या 1769(1)/XXIV-3/08/90/माध्यमिक/2001 तद्दिनांक।

प्रतिलिपिःनिम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1. निदेशक,विद्यालयी शिक्षा, उत्तराखण्ड, देहरादून ।
2. मण्डलीय संयुक्त शिक्षा निदेशक,गढवाल मण्डल, पौड़ी।
3. जिला शिक्षा अधिकारी, जनपद देहरादून।
4. प्रधानाचार्य,दि एशियन स्कूल वंसन्त विहार (इन्दिरा नगर) देहरादून।
5. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(पी0एल0शाह)
उप सचिव।

RECEIVED 31/5

65

कार्यालय, अपर शिक्षा निदेशक, गढ़वाल मण्ड़ल पौड़ी।

आदेश/शिविर/182-183/ 15–क/अना0प्र0/2010–2011/दिनांक 30 मई 2010,

विज्ञप्ति/आदेश

शासनादेश संख्या–2762/15–13–91–4(46) दिनांक 30.11.1991 एवं शासनादेश संख्या 641/xxiv-3/07/01 (11)/2007 दिनांक 26 जून 2007 के क्रम में गढवाल मण्ड़ल में स्थित शिक्षण संस्थाओं को कौंसिल फार दि इण्डियन स्कूल सर्टिफिकेट एक्जामिनेशन (आई0सी0एस0ई0), सेन्ट्रल बोर्ड ऑफ सेकेण्डरी एजुकेशन (सी0बी0एस0ई0)नई दिल्ली, से सम्बद्ध उत्तराखण्ड राज्य से अनापत्ति प्रमाण–पत्र प्राप्त शिक्षण संस्था/विद्यालय में निदेशक विद्यालयी शिक्षा के आदेश संख्या/आंग्ल भाषा/925–26/2010–2011/दिनांक 07 अप्रैल 2010 द्वारा निम्नांकित सदस्य को विभागीय प्रतिनिधि के रूप में सदस्य नामित किया गया है।

क0सं0	विद्यालय का नाम	सी0बी0एस0ई0 आई0सी0एस0ई0	नामित सदस्य का नाम पद तथा पता
1	दि ऐशियन स्कूल बसन्त विहार,इन्दिरानगर,देहरादून	ICSE	पदेन प्रधानाचार्य रा0इ0का0पटेलनगर देहरादून।

उक्त नामित सदस्य संबधित विद्यालय को राज्य सरकार द्वारा जिन प्रतिबन्धों के साथ अनापत्ति प्रमाण–पत्र निर्गत किया गया है, का नियमित अनुश्रवण करेंगे एवं संबधित 10 बिन्दुओं पर त्रैमासिक रूप से रिपोर्ट करेंगे, तथा साथ ही विद्यालय की प्रबन्ध समिति की बैठकों में प्रतिभाग करेगें, एवं बैठक की कार्यवाही की एक प्रति अपने पास सुरक्षित रखेगें।

(एन0एस0राणा)
अपर शिक्षा निदेशक,
गढ़वाल मण्ड़ल,पौड़ी।

पृ0सं0/शिविर/ 182 - 183 /15–क/अना0प्र0/2010–2011/दिनांकित

प्रतिलिपि : निम्नाकित अधिकारियों को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. निदेशक, विद्यालयी शिक्षा उत्तराखण्ड, ननूरखेड़ा, देहरादून।
2. जिला शिक्षा अधिकारी, देहरादून ।
3. सम्बन्धित विद्यालय के प्रबन्धक/प्रधानाचार्य को इस निर्देश के साथ कि संस्था में होने वाली बैठकों में अनिवार्यतः नामित सदस्य को आमंत्रित किया जायेगा।
4. सम्बन्धित नामित सदस्य (निदेशालय द्वारा संलग्न 10 प्रपत्र)।
5. कार्यालय आदेश पुस्तिका।

(एन0एस0राणा)
अपर शिक्षा निदेशक,
गढ़वाल मण्ड़ल,पौड़ी।

IMPORTANT